–चार–

उत्तर प्रदेश शासन
कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग–5
संख्या– क0सं0वि0–5–2391 / 11–1998–500(9)–98
लखनऊ, 10 जून, 1998

अधिसूचना

अ0प्रा0–245

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या–2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट से प्रकाशित होने के दिनांक से, कृषि क्रिया–कलापों से सम्बन्धित ट्रेक्टर या मशीनरी के अर्जन के लिये उधार लेने या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये नियोजित प्रत्येक लिखत पर, (जिनके अन्तर्गत कोई बन्धक, प्रभार, दृष्टिबन्धन (हाईपोथिकेशन) का प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित दस्तावेज भी है) जहॉ ऐसा लिखत किसी कृषक, द्वारा किसी बैंक के पक्ष से निष्पादित किया जाय, 100.00 रूपया (एक सौ रूपया) से अधिक प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट देते है।

स्पश्टीकरण–एक

इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, पद "कृषक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित समस्त या किसी क्रिया कलाप मे, जिसे "कृषि सम्बन्धी क्रियाकलाप" समझा जायेगा, लगा हो, अर्थात :–

(1) भूमि को खेती के योग्य बनाना,
(2) खेती करना,
(3) भूमि सुधार,
(4) सिचाई के स्रोतों का विकास करना,
(5) फसलों को उगाना और उनकी कटाई करना,
(6) उद्यान कृषि,
(7) वन विज्ञान,
(8) पशु प्रजनन,
(9) पशु पालन,
(10) दुग्ध उद्योग,
(11) शूकर पालन,
(12) कुक्कुट पालन,
(13) बीज कृषि,
(14) मत्स्य पालन,
(15) मधुमक्खी पालन,
(16) रेशम उत्पादन,
(17) ऐसे क्रियाकलाप जिन्हे सामान्यतः उपरिउल्लिखित क्रियाकलापों में से किसी में लगे हुए व्यक्तियों द्वारा किया जाता हो,

स्पश्टीकरण–दो–

इस अधिसूचना में पद ''बैंक'' का तात्पर्य निम्नलिखित से हैः–

(एक) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में यथापरिभाषित बैंककारी कम्पनी,

(दो) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन संघटित भारतीय स्टेट बैंक,

(तीन) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में यथापरिभाषित समनुषंगी बैंक,

(चार) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अधीन संघठित तत्समान कोई नया बैंक,

(पॉच) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1955 में यथापरिभाषित वित्तपोषित बैंक या केन्द्रीय बैंक और उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक अधिनियम, 1964 में यथा परिभाषित उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक लिमिटेड,

(छः) उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन निगमित है, और

(सात) एग्रीकल्चरल फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित है।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
हरीश चन्द्र गुप्त,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.K.S.V.5-2391/XI-1998-500(9)-98, dated June 10, 1998 for general information:

No.K.S.V-5-2391/XI-1998-500(9)-98
Lucknow, Dated June 10, 1998
Notification
Order

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. II of 1899) as amended from time to time in it application to Uttar Pradesh the Governor is pleased to remit, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the stamp duty exceeding Rs. 100.00 (Rupees one hundred) chargeable on every instrument employed for obtaining loan of other financial assistance (including a mortgage, charge, hypothecation or documents executed by sureties) for acquisition of tractor or machinery relating to agricultural activity where such instrument is executed by an agriculturist in favour of a Bank.

Explanation I:-

for the purposes of this notification, the expression “agriculturist” means a person who is engaged in all or any of the “following activities” namely ;-

(1) Making land fit for cultivation;
(2) Cultivation of land;Improvement of land;
(3) Improvement of land;
(4) Development of sources of irrigation;
(5) Raising and harvesting of crops;
(6) Horticulture
(7) Forestery
(8) Cattle breading;
(9) Animal Husbandry;
(10) Dairy farming;
(11) Piggery;
(12) Poultry farming;
(13) Seed farming;
(14) Pisciculture;
(15) Apiculture;
(16) Sericulture;
(17) Activities as are generally carried on by persons engaged in any of the afore mentioned activities;

Explanation-II-

The expression "bank" in this notification means-

(i) a banking company, as defined in the Banking Regulation Act, 1949;
(ii) the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955;
(iii) a subsidiary Bank, as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959;
(iv) a corresponding new bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act,1970;
(v) a Financing Bank or Central Bank, as defined in the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 and the Uttar Pradesh Rajya Sahkari Krishi Evam Gramya Vikas Bank Limited, as defined In the Uttar Pradesh Rajya Sahakari Krishi Evam Gramya Vikas Bank Act, 1964;
(vi) the U.P State Agro-Industrial Corporation Limited incorporated under the Companis Act, 1956 and
(vii) the Agricultural Finance Corporation Limited incorporated under the Companies Act,1956.

By order,
Sd/- Illegible

HARISH CHANDRA GUPTA,
Pramukh Sachiv.